

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनासेटी जिला डोडवाना-कुचामन(राज.)

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| प्रार्थी | ब | अप्रार्थी |
| रामेश्वरलाल वगैराह | ना | अजू चौधरी वगैराह |
| | म | |

राजस्व प्रार्थना-पत्र = वाद पत्र वादी बाबत अधिकारों की घोषणा, रेकॉर्ड दुरुस्ती, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 7 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

राजस्व प्रार्थना-पत्र नम्बर 10 /2025 GCMS No.2025/25

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

07.01.2025 वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बाबत अधिकारों की घोषणा, रेकॉर्ड दुरुस्ती, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 4 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अप्रार्थी के विरुद्ध पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 01/12/25 पेश हो।

01/12/25

एककोपी पेश हुयी, जग सभ द्वारा अन्तर्गत स्थान रखा गया है। पत्रावली दिनांक 9/11/2025

01/12/25


वकील प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्ध एडी नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 10/01/2025 को पेश हु

10/1/25

वकील प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्ध एडी नोटिस जारी समन लेने से इनकार शिर्ष के साथ प्रार्थी तामिल माने जाती है वकील प्रार्थी की वल्लस सुनी जरी। अप्रार्थी का अवाक ल्याइ जरी। अनु एक पक्षीय कार्यवाही अमल लोइ जरी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वल्लस पर अमन किया गया। कारण उचित उनीट देना है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है दिनांक 16/1/25

उपखण्ड अधिकारी कुनामन सिटी
रोम्बर ताल कनाम डेजू चौधरी
जन्म 10/2025 जणपड ओरिय 03 नियम 04 (ए)

को अपरिज किया गया वह सं 81/2020 रोम्बर
ताल कौराह कनाम डेजू चौधरी कौराह अंधारा
88,53,188 RPA व 1955 को पुनः नम्बर पर
विषय जाकर सुवाइ करने को ओरिण्ट किया
जता 3 पत्रवली फ़सल शगर छुपर नम्बर
स काम होकर कोरवात हफ़तर ह।


उपखण्ड अधिकारी
कुनामन सिटी (डीडवाना कुनामन)